के. जी. के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद

सम्बद्ध : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

K. G. K. (PG) COLLEGE MORADABAD

विवरणिका

2020-21

महाविद्यालय के प्रेरणा स्रोत

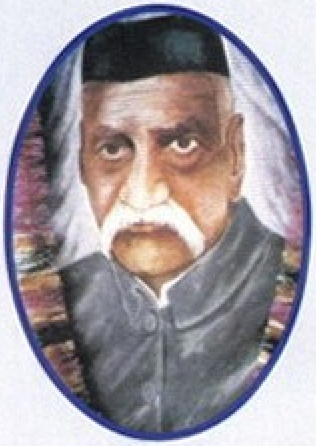

दानवीर स्व. साहू केदार नाथ खन्ना जी

महाविद्यालय के संस्थापक

श्रद्धेय स्व. साहू गिरधारी लाल जी

महाविद्यालय के पूर्व प्रबन्धक

श्रद्धेय स्व. साहू शम्भू नाथ खन्ना जी

केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री महाविद्यालय की स्थापना प्राईमरी स्कूल के रूप में सन् 1944 में हुई थी। शिक्षा प्रेमी स्व॰ साहू गिरधारी लाल खन्ना जी एवं उनके पुत्र साहू शंभुनाथ खन्ना जी के प्रयासों से सन् 1948 में डिग्री कालेज के रूप में इसकी पहचान बनी। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुरादाबाद में ही नहीं निकटवर्ती क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं की विगत 63 वर्षों से लगातार सेवा करता आ रहा है। दानी, शिक्षा प्रेमी व उदारवादी व्यक्तित्व से भरपूर कॉलेज के प्रबन्धक स्व॰ साहू शंभूनाथ खन्ना के अथक प्रयासों से 1950 में इसकी पहचान स्नातकोत्तर स्तर तक पहुँची। तत्पश्चात इनके संरक्षण में यह कालेज फलता फूलता रहा एवं आगरा विश्वविद्यालय के अग्रणी महाविद्यालयों में इसकी पहचान होने लगी जिसके लिये राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राध्यापकों का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता।

केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री महाविद्यालय, महानगर के कोलाहल एवं भीड़ से अलग निकटवर्ती क्षेत्र के एकान्त एवं शान्त वातावरण में स्थित है, जहाँ पर हर धर्म व जाति के छात्र/छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। वर्ष 1975 से यह महाविद्यालय रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय (वर्तमान में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली) से सम्बद्ध है तथा इसी के निर्देशन में यह कालेज अपने शैक्षिक कार्यों का सम्पादन करता है।

वर्तमान में साहू गोपीनाथ खन्ना जी, अध्यक्ष एवं श्री विवेक खन्ना जी प्रबन्धक के कुशल प्रबन्धन एवं उर्जावान नेतृत्व में महाविद्यालय का चहुँमुखी विकास हो रहा है।

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति

साहू गोपी नाथ खन्ना	अध्यक्ष
श्री विवेक खन्ना	प्रबन्धक/सचिव
श्री मनमोहन महरोत्रा	सदस्य
श्री पराग गोपाल	सदस्य
श्री अमर महरोत्रा	सदस्य
श्री मुकेश महरोत्रा	सदस्य

प्रबन्ध समिति अध्यक्ष का संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

सर्वप्रथम मैं उन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जोकि इस वर्ष शिक्षा पूरी करके समाज का एक कार्यशील हिस्सा बन रहे हैं । ये सभी छात्र-छात्राऐं महाविद्यालय से अर्जित ज्ञान का उपयोग कर राष्ट्र की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

मैं सत्र 2020-21 में महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे सभी छात्रों एवं छात्राओं का इस महाविद्यालय परिवार में स्वागत करता हूँ। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में उन्हें एक अनुशासित शैक्षिक वातावरण मिलेगा। महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। विद्यार्थियों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु महाविद्यालय प्रबन्ध समिति प्रतिबद्ध है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रबन्धक श्री विवेक खन्ना व प्राचार्य डा. एस. डी. द्विवेदी एवं सभी शिक्षकों , शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं अभिभावको के सहयोग से महाविद्यालय नवीनतम सफलतायें अर्जित करेगा।

गोपी नाथ खन्ना

अध्यक्ष प्रबन्ध समिति

प्रबन्धक महोदय का संदेश

मेरे प्रिय सहयोगी जन एवं विद्यार्थियों

मैं सत्र **2020-21** में विभिन्न विषयों में प्रवेश ले रहे विद्याार्थियों का इस महाविद्यालय परिवार में स्वागत करता हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

यह महाविद्यालय मुरादाबाद मंडल के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक है महाविद्यालय में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास की गतिविधियाँ होती रहती हैं जिससे विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास हो सके और वे एक सफल नागरिक बन सकें।

महाविद्यालय के विकास के लिये प्रबन्ध समिति द्वारा सत्त प्रयास किये जा रहे हैं जिनका लाभ शीघ्र ही महाविद्यालय को मिलने लगेगा। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता हेतु प्रबन्ध समिति एवं महाविद्यालय परिवार विशेष रूप से प्रतिबद्ध है।

नवीन सत्र के लिये समस्त छात्र-छात्राओं व महाविद्यालय परिवार को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

विवेक खन्ना

प्रबन्धक/सचिव

अध्ययन के विषय एवं चयन

स्नातक विषय (बी. ए.)

अनिवार्य विषय - सामान्य हिन्दी | सामान्य अंग्रेजी

वैकल्पिक विषय

हिन्दी साहित्य	मनोविज्ञान	अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र
अंग्रेजी साहित्य	सैन्य अध्ययन	राजनीति शास्त्र	गणित
संस्कृत	समाज शास्त्र	भूगोल	इतिहास

बी. एस-सी. (PCM Group)

स्व वित्त पोषित –

1. बी. एस-सी. (Bio Group)   2. बी. कॉम.

स्नातकोत्तर विषय (एम. ए.)

अंग्रेजी साहित्य	हिन्दी साहित्य	संस्कृत	अर्थशास्त्र	इतिहास
दर्शनशास्त्र	राजनीति शास्त्र	समाज शास्त्र	भूगोल	मनोविज्ञान

स्नातकोत्तर विषय (एम. एस-सी)

रसायन शास्त्र (कार्बनिक) | भौतिक शास्त्र | गणित

एम. एस. सी. (PCM) में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किये जायेंगे

विधि संकाय : विधि संकाय में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार योग्यता सूची बनाकर सम्पन्न होगी ।

शोध कार्य : शोध कार्य की सुविधा समस्त स्नातकोत्तर एवं विधि विषयों में उपलब्ध है ।

नोट :

1. बी.ए./बी. एस.-सी./बी. कॉम तीनों वर्षो में शारीरिक शिक्षा समस्त संस्थागत छात्र/छात्राओं के लिये अतिरिक्त अनिवार्य विषय है, जो तीनों वर्षो में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षा सुधार द्वारा उत्तीर्ण किया जा सकता है । इस विषय की परीक्षायें होगीं । एक लिखित तथा एक प्रयोगात्मक परीक्षा देनी होगी।
2. बी.ए./बी. एस.-सी./बी. कॉम तीनों वर्षो में पर्यावरण विज्ञान भी अतिरिक्त अनिवार्य विषय है जिसको तीनों वर्षो में से किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । इस विषय का केवल एक प्रश्नपत्र होगा।
3. सूच्य है कि शारीरिक शिक्षा तथा पर्यावरण का प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

विषय संयोजन एवं नियम

- ❖ बी.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में से एक विषय लेना अनिवार्य है।
- ❖ अभ्यर्थी अधिकतम दो साहित्यिक विषयों का चयन कर सकता है।
  अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य एवं संस्कृत साहित्य
- ❖ अभ्यर्थी महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक विषयों भूगोल व सैन्य अध्ययन में से किसी एक का चयन कर सकता है।
- ❖ अभ्यर्थी मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र में से एक का चयन कर सकता है।
- ❖ अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास विषय में से अधिकतम दो का चयन कर सकता है।
- ❖ सैन्य अध्ययन, मनोविज्ञान उन छात्र/छात्राओं को भी देय है, जिनके पास यह विषय इन्टर में नहीं थे।
- ◆ बी.ए./बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश क्रमशः पंजीकरण के माध्यम से मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- ◆ बी. एस-सी. प्रथम वर्ष में केवल तीन विषय लेने होंगे रसायन शास्त्र के स्थान पर प्रवेशार्थी रक्षा अध्ययन, भूगोल, अर्थशास्त्र में से किसी एक का चयन कर सकता है।
- ◆ प्रवेशार्थी सामान्य अंग्रेजी अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकता है। परन्तु उसके अंक श्रेणी में नहीं जोड़े जायेंगे ।
- ◆ एक बार विषय का चयन किये जाने के बाद उनका परिवर्तन नहीं होगा।
- ◆ बी.ए. तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को बी.ए. द्वितीय वर्ष में पढ़े तीन वैकल्पिक विषयों में से कोई दो विषय मिल सकेंगे।
- ◆ समय सारणी के अनुसार समायोजित न हो सकने वाले छात्र-छात्राओं को अपने विषय परिवर्तित करने होंगे।

नोट : समस्त स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों के आधार पर योग्यता सूची बनाकर सम्बधित विभागाध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे।

1. किसी भी छात्र/छात्रा को महाविद्यालय के प्राचार्य बिना कारण बताये अपने विवेक के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश देने से इन्कार कर सकते हैं तथा किसी भी समय प्रवेश को निरस्त कर सकते हैं।
2. महाविद्यालय में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने वाले छात्र/छात्रा को प्राचार्य,विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड की अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रवेश देने से इन्कार कर सकते हैं।
3. किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं।
4. जाली दस्तावेज पकड़े जाने पर छात्र के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
5. महाविद्यालय सम्बन्धी समस्त सूचनायें महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती है। अलग से सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः छात्र/छात्रा प्रत्येक दिन महाविद्यालय में आकर पहले सूचना पट देखें।
6. एक विषय में एम.ए./एम.एस-सी. करने पर पुनः दूसरे किसी अन्य विषय में इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।
7. कॉशनमनी वापस लेने के लिये फीस रसीद अवश्य प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें कॉशनमनी जमा है।
8. संस्थागत छात्र/छात्राऐं परीक्षा में तभी प्रवेश पा सकेंगे जब सभी कक्षाओं में उनकी न्यूनतम उपस्थिति 75 % होगी।
9. कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश का अधिकार स्वरूप दावा नहीं कर सकता।
10. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई प्रवेश किसी भी दशा में नहीं दिया जायेगा।
11. अन्य समस्त नियम जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।

टी. सी., एवं डिग्री फीस रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही निर्गत की जायेगी।

प्रवेश प्रक्रिया एवं निर्देश

प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये निम्न प्रक्रिया को अपनाना होगा।

1. प्रवेश के इच्छुक समस्त छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन प्रवेश पंजीकरण शुल्क 50/- मात्र जमा कर उसकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में निर्धारित स्थान पर जमा करनी होगी।
2. प्रवेश आवेदन पत्र आदि को पूर्णतया भरकर उसके साथ –
   (क) हाई स्कूल की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो कॉपी।
   (ख) इंटर मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित फोटो कॉपी।
   (ग) टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण पत्र (जहाँ से गत परीक्षा उत्तीर्ण की हो)
   (घ) यदि शिक्षा में अन्तराल (गैप) हो तो प्राचार्य के नाम स्वयं प्रमाणित शपथ–पत्र समस्त प्रमाण पत्रों के साथ नत्थी कर दें।
3. बिना परिचय–पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है ऐसा करना गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. समस्त छात्र/छात्राओं को विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन फार्म व नामांकन फार्म को भरना होगा। अन्यथा परीक्षा में बैठ पाना सम्भव नहीं होगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा।
6. फीस रसीद प्रवेशार्थी संभालकर रखें क्योंकि काशन मनी आदि अन्य देय मूल रसीद प्रस्तुत करने पर ही वापस किये जाते हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्रा के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त कक्षाओं के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र ऑन लाइन प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जायेगा। समस्त छात्र/छात्राओं का खाता संख्या भारतीय स्टेट बैंक शाखा के॰ जी॰ के॰ कालेज, मुरादाबाद का ही मान्य होगा । अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रवृत्ति पाने के केवल वे ही छात्र / छात्रा पात्र होगें जिनके माता पिता की वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम हो । समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र / छात्राओं के आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत एवं कम्प्यूटीकृत ही मान्य होगें ।

विशेष :- एक बार प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा।

1. महाविद्यालय में पूरे वर्ष का शुल्क एक किश्त में लिया जाता है।
2. शुल्क मुक्ति एवं निर्धन छात्र/छात्रा सहायता प्राप्त करने के लिए केवल वही विद्यार्थी प्रार्थना पत्र दें जिनके अभिभावक की मासिक आय 1500 रू॰ तक है। इसका प्रमाण पत्र देना होगा।
3. शिक्षण शुल्क मुक्ति सुविधा प्राप्त करने अथवा निर्धन छात्र सहायता कोष से सहायता प्राप्त करने के इच्छुक छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित प्रार्थना पत्र कार्यालय काउन्टर से खरीदकर एवं उसको भरकर सम्बन्धित शुल्क लिपिक को कार्यालय काउन्टर पर निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा पर रसीद प्राप्त कर लें जिन छात्र/छात्राओं ने किसी दूसरे कॉलेज से इसी वर्ष यहाँ प्रवेश लिया है और यदि उनकी पहले शुल्क मुक्त थी तो प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट कॉपी संलग्न करें तथा सभी छात्र अपने पिता/संरक्षक की आय के प्रमाण पत्र की प्रति एवं अंतिम परीक्षा की अंकतालिका की फोटो स्टेट कॉपी संलग्न करें।

4. भूतपूर्व एवं व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं को 450/- रू० शुल्क देना होगा।
5. जिन निर्धन छात्राओं के भाई-बहन इस कॉलेज में सत्र 2018-19 में प्रवेश ले चुके हैं, वे प्रवेशोपरान्त शिक्षण मुक्ति की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। छात्र/छात्रा निर्धारित प्रार्थना-पत्र (**Brother/Sister Fee Concession Form**) कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें।
6. जिन छात्र/छात्राओं को शिक्षण की सुविधा दी जायेगी। उनकी सूची कार्यालय सूचना पट पर लगा दी जायेगी।
7. निर्धन छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क मुक्ति सुविधा के अतिरिक्त बुक-बैंक द्वारा पुस्तकों की सुविधा भी दी जायेगी।
8. विधि कक्षाओं में शुल्क मुक्ति की सुविधा देय नहीं है।
9. छूटे हुए प्रैक्टिकल की परीक्षा हेतु शुल्क रू० 450/- प्रति प्रैक्टिकल देय होगा ।
10. परीक्षा-सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर 495/- एवं स्नात्तकोत्तर स्तर पर 515/- रू० शुल्क देय होगा ।

सामान्य नियम एवं सुविधायें

पुस्तकालय एवं बुक बैंक : पुस्तकालय में लगभग 80000 से अधिक पुस्तकें हैं । प्रति वर्ष नई पुस्तकें क्रय करके इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की सुविधा है। पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र व ज्ञानवर्द्धक मासिक पत्र–पत्रिकायें छात्र/छात्राओं के लिये उपलब्ध रहती हैं ।

ऐसे निर्धन छात्र/छात्रायें जो पुस्तक खरीदने में असमर्थ है। उनके लिए बुक–बैंक सुविधा रखी गई है। छात्र/छात्राओं को पूर्ण सत्र के लिये पुस्तकें दी जाती हैं। जिन्हें वे परीक्षा से पूर्व वापिस करते है ऐसी सुविधा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तकों के लिये 100.00 रू॰ बुक–बैंक निधि के रूप में जमा करना होता है। जो उन्हें पुस्तक जमा करते समय रू॰ 20.00 कटौती पर जुलाई माह में भुगतान महाविद्यालय खुलने पर रसीद जमा करने पर किया जायेगा।

नेशनल केडिट कोर : योग्य एवं कर्त्तव्यनिष्ट अधिकारियों द्वारा यहाँ एन.सी.सी. का कार्य संचालित किया जाता है इसके लिये अलग कक्ष आवंटित हैं, प्रवेशार्थियों को एन.सी.सी. के लिये आवेदन करना होता है। निश्चित प्रक्रिया के बाद एन.सी.सी. में प्रवेश मिलता है। परेडों की अनुशासित उपस्थिति का 75 % एन.सी.सी. के "बी" तथा "सी" प्रमाण–पत्रों की परीक्षा के लिये आवश्यक है।

राष्ट्रीय सेवा योजना : राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाई हैं । इस योजना के अन्तर्गत समाजसेवा, श्रमदान एवं 10 दिन शिविर आदि का आयोजन किया जाता है। जिसमें हमारे प्रभारी व कार्यकर्ता पिछड़े गाँव आदि जगहों पर जाकर ग्रामवासियों को सफाई, स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण आदि के बारे में व सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना व समस्याओं का स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेकर निराकरण कराना आदि कार्य शिविर में किये जाते हैं।

क्रीड़ा तथा शारीरिक व्यायाम : महाविद्यालय के अपने विशाल क्रीड़ा स्थल तथा मैदान हैं। फुटबाल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिन्टन कोर्ट, बास्केटबॉल तथा अर्न्तराष्ट्रीय क्रीड़ाओं की अनेक सुविधायें कॉलेज में सुलभ है। महाविद्यालय में एक जिम्नेजियम हॉल, स्वीमिंग पूल है जो शारीरिक व्यायाम के सम्पूर्ण साधनों से युक्त है । इसके लिये शारीरिक व्यायाम विशेषज्ञ नियुक्त हैं ।

शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में हमारे छात्रों ने विश्वविद्यालीय स्तर, प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त किया है।

परिचय-पत्र : महाविद्यालय में विद्यार्थियों को एक परिचय–पत्र दिया जाता है। छात्रों को सुरक्षित रूप से उसे अपने पास रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे दिखा सके। परिचय–पत्र की दूसरी प्रति केवल विशेष परिस्थिति में रू॰ 50/– का शुल्क देकर ही प्राप्त की जा सकती है।

कैरियर व कॉउन्सलिंग केन्द्र : महाविद्यालय के छात्र /छात्राओं को विभिन्न रोजगार अवसरों एवं नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कैरियर एण्ड काउन्सलिंग सेल (यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा प्रायोजित) की स्थापना की गयी है। ये सेल समसायिक व्यावसायिक प्रवृत्तियों एवम् घटनाओं की जानकारी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क उपलब्ध कराता है। साथ ही सेल संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, टीम कौशल एवं अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी कौशल इत्यादि के विकास हेतु निःशुल्क कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

पदक, छात्रवृत्ति व पारितोषिक पदक : जो विद्यार्थी परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करता है उसे पदक व प्रमाण–पत्र दिया जाता है । जो विद्यार्थी वि. वि. में प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसे पदक के विशेष सम्मान से विभूषित किया जाता है ।

जो विद्यार्थी वाद–विवाद प्रतियोगिता/निबन्ध प्रतियोगिता/एन.सी.सी./एन.एस.एस. क्रीड़ा में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को शिक्षा निदेशक द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

प्रवेश नियमावली

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।
2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी। जैसा कि नीचे उल्लेख है।
3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
   (ख) विद्यार्थी जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में परीक्षा सुधार के हकदार हैं, उन्हें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नति दे कर प्रवेश की अनन्तिम अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि वे लिखित परीक्षा में 33% अंक प्राप्त किये हों। जैसी वस्तुस्थिति हो, परन्तु यह नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जब सुधार परीक्षा–मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो।
   (ग) 3(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल.एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।
   (घ) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने के प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अर्थात प्रवेश के समय छात्र पाठ्यक्रम हेतु अर्ह होना चाहिए।
4. (क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस–सी/बी.काम./एल–एल–बी. (सेमेस्टर सिस्टम)/बी.बी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधिमें एम.ए./एम. एस–सी/एम.काम./एल–एल.एम./एम.बी.ए., पूर्णकालीन, 4 वर्ष की अवधि में और बी.एस–सी. (कृषि) एवं बी.टेक./बी.ई. पाठ्क्रमों की परीक्षा 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्क्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करना होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्क्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो। यह नियम सत्र 2001–2002 से प्रभावी है। यह नियम मात्र संस्थागत अभ्यार्थी पर ही लागू होगा।
   (ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वह परीक्षा से वचिंत होते है।
5. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद इस विश्वविद्यालय से पुनः अन्य किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।
6. जिन विद्यार्थियों नें अदीब/अदीब–ए–माहिर/आदिब–ए–कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) न होने पर स्नातक एवं (10+2+3) न होने पर परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
7. (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
   (ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा। और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे।
8. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45% अंको के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सलंग्न है) के लिए 45% प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।
9. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उसको नियमित अर्थात संस्थागत छात्र के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
10. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।
11. एम.एस–सी, (सभी विषय) एवं एम.ए. (भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा।
   (क) निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
   (ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस–सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो) और एम.एस–सी./एम.ए. सम्बन्धित ऐच्छिक विषय जिसमें प्रवेश चाहता है उसमें 45% अंक होना चाहिये। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न है) को नियमानुसार 5% प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए 40% होगा।

स्पष्टीकरण – जिन विषयों में परास्नातक के प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे वहाँ समबन्धित विषय में 45% अंकों का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

   (ग) छात्र एम.एस–सी/एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में उत्तीर्ण की हो।
12. प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
13. (क) अनुसूचित साधनों का प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्रों को, विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर अन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
   (ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।
14. जिन अभ्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। (हाई स्कूल स्तर की परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों ने चाहे किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।
15. उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ, द्वारा संचालित उत्तर मध्यम परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
16. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से माध्यम परीक्षा अथवा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे बी.ए./एम.ए. संस्कृत विषय प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।

17. बी.टेक., बी.फार्मा., उत्तीर्ण छात्र बी.एड. प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे किन्तु ऐसे छात्र बी.एस–सी. उत्तीर्ण छात्रों की भांति स्नातकोत्तर कक्षा/एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

विशेष निर्देशः

1. धर्म जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
2. विकलांग/स्वतत्रंता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में शहीद हुए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समबन्धित सीटों का अधिकतम 5% मैरिट तथा महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त सीटों का न्यूनतम 20% क्षैतिजीय आरक्षण मान्य होगा।
3. यदि अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों से भरे जायेंगे। यदि किसी भी आरक्षित रेणी में सीटें रिक्त रहती हैं तो उसे सामान्य सीटें मानकर भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।
3. अन्य प्रदेश के छात्रों के लिए (मेरिट) योग्यता के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में केवल 5% स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे और बाहर के सभी छात्र सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
4. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी। लेकिन 03 वर्ष से अधिक अन्तराल पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।
5. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्क्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेत 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शोध कक्षाओं यथा एम.फिल एवं पी.एच–डी में प्रवेश हेतु भी छात्र का 10+2+3 के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त अनिवार्य है।
6. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे

(अ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेल कूद प्रतियोगिता में भागीदारीऔर खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
(ब) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(स) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
(द) एन.सी.सी. के "सी" प्रमाण पत्र अथवा "बी" प्रमाण पत्र , "जी " प्रमाण पत्र	10 अंक
एक और "बी" और "जी प्रथम" प्रमाण पत्र के लिए	05 अंक अधिकतम
(ड) एन.एस.एस को दो शिविर पूर्ण करने तथा240 घंटे की सेवायें	10 अंक
एक एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	05 अंक अधिकतम

7. स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है।
8. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) तथा जिस जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी। महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी। जिन कक्षाओं में विश्वविद्यालय भेजी जायेगी एवं एक प्रति महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी। जिन कक्षाओं में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा उन्हीं कक्षाओं में प्रवेश महाविद्यालय योग्यता सूची से करेगा। बी. काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश समान्यताः उन छात्रों को दिये जायेंगे जिन्होने इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की हो। बी.काम. प्रथम वर्ष हेतु 5% अंक उन छात्रों को प्रदान किये जायेंगे जिन्होने इण्टरमीडिएट अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की है। ऐसे छात्र जिन्होने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी.ए. में प्रवेश चाहते हैं उनके 5% अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे।
9. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।
10. एम.ए. कक्षा में प्रवेश हेतु 10 % सीटें नॉन स्ट्रीम छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे।
11. एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्रों का पारस्परिक स्थानान्तरण केवल समान कक्षा में वि॰ वि॰ के अनुमोदन के पश्चात संभव होगा एवं स्थानान्तरण कराये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए छात्र को दोनों प्राचार्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र करना होगा यह सुविधा केवल एक बार ही अनुमन्य होगी, परन्तु शुल्क का हस्तान्तरण नहीं होगा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कोई स्थानान्तरण नहीं होगा।

    जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही पाठ्यक्रम की अवधि दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न क्रिया कलाप

महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न क्रिया कलाप

महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न क्रिया कलाप

K. G. K. (PG) COLLEGE
MORADABAD

WE
PROVIDE THE BEST
EDUCATION

B.A.
B.Sc.
B.Com.
M.A.
M.Sc.
LL.B

Phone : 0591-24821176, 24821177
www.kgkpgcollegemoradabad.com
email : info@kgkpgcollegemoradabad.com